तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/3/18	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते रिपोर्ट T.P.R. आगामी पेशी दिनांक 26/3/18 को पेश हो।
26/3/18	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते पुलिसरिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक 02.4.18 को पेश हो।
	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते प्रार्थीया की ओर से श्री बलविन्दर सिंह एड0 आगामी पेशी दिनांक ने वकालतनामा पेश किया व प्रा0 शि0 किया को पेश हो। अप्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रा0पत्र प्रस्तुत किया पत्रावली वास्ते जवाब आपत्ति प्रा0पत्र हेतु दिनांक 6.4.18 को पेश हो।
6/4/18	अधिवक्ता ... अधिकारी अन्य कार्य/... पत्रावली दिनांक 13/4/18 ... पेश हो। को प्रातः पेश हो।
13.4.18	आज पत्र उप. । प्रार्थी जग सिंह S/O दौलतराम द्वारा पत्रावली (अप्रार्थी न. 2) संशोधित करने के लिए प्रा. पत्र पेश ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में किया गया है जिसे प्रार्थी अभिभावक द्वारा No-objection किया गया। प्रा. पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी क्र. 2 पर जय सिंह का नाम अंकित किया जावे। संशोधित शीर्षक व श्री शहजाद हुसैन एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा की तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.5.18 को पेश हो। [signature]	कमला देवी I. by me [signature] नवीन गोयल BY संदीप I. by me [signature] जयसिंह I by me [signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2018	अधिवक्ता प्रार्थीया श्री नवीन गोयल व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 श्री लालचन्द वर्मा व नवसंयोजित अप्रार्थी संख्या–2 जय सिंह के अधिवक्ता श्री शहजाद हुसैन उप0। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। यह प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 289/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2017 में दिये गये निर्देशानुसार रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है तथा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खाला एवं रास्ता दोनों बिन्दुओं पर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। दोनों पक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत कर चक 5 एम0के0एस0 तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर–198/216 (29) के किला नम्बर–1 व 2 में उतरी सिरे प्रत्येक किला में 0.021 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने व पत्थर नम्बर–198/216 (29) के किला नम्बर–3–4–5 में उतरी सिरे पर प्रत्येक किला में 0.013 है0 गैरमुमकिन खाला स्वीकृत किये जाने में सहमति दी है व राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार गैरमुमकिन रास्ता व गैरमुमकिन खाला दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य रास्ता की सुविधा एवं सिंचाई हेतु खाला की सुविधा को लेकर आपस विवाद चला आ रहा था। दोनों पक्षों ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एक–दूसरे पक्ष को रास्ता व खाला की सुविधा देने के आशय से राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आकर राजीनामा में वर्णित तथ्यों को सहमतिपूर्वक स्वीकार करते हुये राजीनामा में वर्णित शर्तों की पालना करने के लिये स्वयं को आबद्व किया है। राजीनामा के अवलोकन से दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद सदैव के लिये समाप्त होता है। इसलिए इस राजीनामा अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः मुताबिक राजीनामा चक 5 एम0के0एस0 तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर–198/216 (29) के किला नम्बर–1 व 2 में उतरी सिरे प्रत्येक किला में 0.021 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने व पत्थर नम्बर–198/216 (29) के किला नम्बर–3–4–5 में उतरी सिरे पर प्रत्येक किला में 0.013 है0 गैरमुमकिन खाला स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

(12)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

7

प्रकरण संख्या :— 306/2013

कृष्णा देवी पत्नि रणवीर जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —प्रार्थीया

बनाम

संदीप पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) जनरल कॉलोनी कंडिशन राजस्थान कोलोनाईजेशन अधिनियम

उपस्थिति
1. श्री छगन लाल सिड़ाना अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 16/11/16

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनरल कॉलोनी कंडिशन 8 (2) के तहत पेश किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 5 एमकेएस के खाता सं. 25 प.न. 198/215 मु.न. 22 कि.न. 14 ता 17/1.012, 24/0.253, प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 3, 4/0.506, 7, 8/0.506, 13, 14/0.506 कुल 2.783 है0 नहरी दर्ज है। अप्रार्थी के नाम से चक 5 एमकेएस खाता सं. 146 प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 1, 2/0.506, 9 ता 12/1.012, 19, 20/0.506, प.न. 197/216 मु.न. 30 कि.न. 3 ता 8/1.518, 14 ता 18/1.265, 23 ता 25/0.759, प.न. 197/217 मु.न. 31 कि.न. 3 ता 8/1.518 कुल 7.084 है0 दर्ज खातेदारी है। प्रार्थीया की कृषि भूमि मे अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 एमकेएस के प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 1, 2 की उतरी सीमा पर एक गट्ठा रास्ता पश्चिम से पूर्व व प.न. 197/216 मु.न. 30 के कि.न. 3 ता 5 की उतरी सीमा पर एक गट्ठा रास्ता पश्चिम से पूर्व होकर आवागमन रहा है व प्रार्थीया अप्रार्थी की भूमि मे से होकर अपने खेत को आवागमन करती आ रही है। प्रार्थीया के खेत को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीया अप्रार्थी को रास्ता भूमि की ऐवज मे अप्रार्थी से चिपती अपनी भूमि या डीएलसी रेट से रूपये देने का तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत मे पहुंचने के लिये पूर्व मे चालू रास्ता चक 5 एमकेएस प.न. 198/216 कि.न. 1 व 2 की उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व को एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत फरमाया जाकर रिकार्ड मे अंकल फरमावें व बंद रास्ता को तुरन्त चालू करवाने हेतु आदेश फरमावें।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी को श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 19.09.2013 की पालना मे स्थानान्तरण से प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया की ओर से श्री छगनलाल सिड़ाना विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र भुंवाल विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। तहसीलदार टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा दिनांक 16.11.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यं गलत व असत्य है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे से कभी भी रास्ता चालू नही रहा तथा वर्तमान मे भी उक्त भूमि मे रास्ता चालू नही है जबकि प्रार्थीया व उसका पति प.न. 199/216 के कि.न. 2 ता 4 के जरिये अपने खेत मे अरसा दराज पूर्व से प्रवेश करते है। प्रार्थीया को अपने खेत मे आने जाने हेतु पूर्व मे रास्ता उपलब्ध है जिसके जरिये वह अपने खेत मे आवागमन करती चली आ रही है। चक 5 एमकेएस प.न. 198/216 कि.न. 1 व 2 की भूमि मौरूसी भूमि है, जिस पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की जनरल कोलोनाइजेशन कंडीशन की शर्त लागू नही होती तथा कानूनन 1955 से पूर्व की खातेदारी भूमि मे राजस्थान उपनिवेशन शर्तो के अधीन रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता, प्रार्थना पत्र प्रार्थीया इसी आधार पर काबिले खारिज है। प्रार्थीया के नाम से अंकित भूमि उसके दादा ससूर हिम्मताराम व उसके भाईयो की संयुक्त खाता की भूमि थी जिसके प.न. 199/215 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प.न. 199/216 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे 3—3 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता जो सालीवाला से चौटाला की ओर जाता है जो आज भी चालू है। प्रार्थीया के ससूर व उसके भाईयों का अपने चाचा व ताउओ के साथ सन् 1975 मे संयुक्त भूमि का बंटवारा हो गया मुताबिक बंटवारा प्रार्थीया के नाम से दर्ज भूमि बलवंत पुत्र श्योजी राम के हक व हिस्सा मे आई। बलवंत ने करीब 5, 6 वर्ष पूर्व यह भूमि प्रार्थीया को बेचान कर दी, इसलिए प्रार्थीया के नाम से दर्ज भूमि उसके पति के पड़दादा स्व. जेठाराम के खाते की भूमि है तथा जेठाराम के खाते की भूमि के प.न. 199/215 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प.न. 199/216 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता चालू है जिसके जरिये प्रार्थीया अपने खेत मे प्रवेश करती चली आ रही है। प्रार्थीया स्व. जेठाराम के खाते की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारिणी व दावेदार है। प्रार्थीया अप्रार्थी की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीया के नाम से दर्ज भूमि के पूर्व की ओर प.न. 198/215 कि.न. 25 प.न. 199/215 कि.न. 11, 20, 21 प.न. 198/216 कि.न. 5, 6, 15 प.न. 199/216 कि.न. 1, 10, 11 कुल 10 बीघा भूमि प्रार्थीया के पति रणवीर के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा प्रार्थीया का पति अपने पूर्वजो के खाता की भूमि के पत्थर लाईन 199 पर स्वीकृतशुदा व चालू रास्ता के जरिये प.न. 199/216 के कि.न. 2 ता 5 मे से होकर आवागमन करता चला आ रहा है जो आज भी चालू है तथा प्रार्थीया व उसका पति इसी रास्ता के जरिये अपने खेत मे प्रवेश

Scanned by CamScanner

करते चले आ रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार टिब्बी रिपोर्ट मे निवेदन किया है कि मुताबिक जमाबंदी चक 5 एमकेएस के खाता सं. 37 प.न. 198/215 मु.न. 22 कि.न. 14 ता 17, 24/1.265, प.न. 138/216 मु.न. 29 कि.न. 3, 4, 7, 8, 13, 14/1.518 है0 कुल 2.783 है0 नहरी मय गै.मु. कृष्णादेवी पत्नि रणवीर कौम जाट सा. सालीवाला खातेदार के नाम दर्ज है तथा खाता सं. 146 प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19, 20/2.024, प.न. 197/216 मु.न. 30 कि.न. 3 ता 8, 14 ता 18, 23 ता 25/3.542, प.न. 197/217 मु.न. 31 कि.न. 3 ता 8/1.518 कुल 7.084 है0 नहरी मय रास्ता भूमि सन्दीप वल्द राजाराम कौम जाट सा. सालीवाला के नाम दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड प.न. 197/216 मु.न. 30 के कि.न. 1 ता 5 की उतरी सीमार पर गै.मु. रास्ता दर्ज है। परन्तु वर्तमान मौके पर उक्त कि.न. 1 ता 5 मे रास्ता चालू नही हैं मु.न. 30 कि.न. 2 ता 5 मे मौके पर खाला बना हुआ है तथा मु.न. 30 के कि.न. 1 मे जो कि पन्नाराम, हरीराम, छोटूराम, मानाराम पि. देवाराम कौम भाट सा. सालीवाला खातेदार के नाम दर्ज है, मे पूर्व मे निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था जिसे पूर्व मे रकबा दिया गया था। इसके अतिरिक्त प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 1, 2 मे मौके पर उतरी सीमा पर खाला चालू है जिससे सिंचाई की जाती है। मु.न. 29 कि.न. 3, 4 मे कोई खाला या रास्ता चालू नही है तथा मु.न. 29 कि.न. 5 मे सिंचाई हेतु खाला बना हुआ है।

पत्रावली मे उभय पक्षो की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि चक 5 एमकेएस मे प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 1 व 2 की उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व को एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जावे व अप्रार्थी को प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 8, 13 प्रत्येक मे 1-1 बिस्वा कृषि भूमि दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा रास्ता भूमि की ऐवज मे भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार टिब्बी एवं पटवारी रिपोर्ट तथा नक्शे का अवलोकन करने एवं सुनने उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा चक 5 एमकेएस प.न. 198/216 कि.न. 1 व 2 की उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व को एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत इस्तदुआ चाही गई तथा अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस रास्ता भूमि की ऐवज मे प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत सहमति दी गई। चूंकि प्रकरण मे अप्रार्थी द्वारा रास्ता भूमि की ऐवज मे भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति दी है जिसके संबंध मे प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेशकर चक 5 एमकेएस मे प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 1 व 2 की उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व को एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किये जाने व अप्रार्थी को प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 8, 13 प्रत्येक मे 1-1 बिस्वा कृषि भूमि दिये जाने की सहमति दी तथा प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को रास्ता भूमि की ऐवज मे भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायहित मे स्वीकार किया जाना उचित है। अतः उक्त निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) जनरल कोलोनी कंडिशन राजस्थान कोलोनाईजेशन अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि चक 5 एमकेएस प.न. 198/216 मु.न. 29 के कि.न. 1 व 2 की उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व को एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को रास्ता भूमि की ऐवज मे चक 5 एमकेएस के प.न. 198/216 मु.न. 29 कि.न. 8, 13 प्रत्येक मे 1-1 बिस्वा भूमि पश्चिम की ओर दिये जाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/11/16 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सल न0 – 377 / 2012

ठासीन अधिकारी :– हर्षवर्धन सिंह (आर.ए.एस.)

नुवान :–

1. कृष्णादेवी पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
प्रार्थी

बनाम

1. संदीप पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत शर्त 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेषन

उपस्थित :– श्री जगदीष प्रसाद षर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अब्दुल सतार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 12-9-12

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र औ 7 आर 11 सीपीसी जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेष किया की चक 5 एमकेएस प0न0 198 / 216 के किला न0 1 व 2 में एक–एक विष्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर औ 7 आर 11 सीपीसी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पूर्वजो की मौरूसी भूमि है जिस पर राजस्थान उपनिवेषन अधिनियम 1955 की जरनल कॉलोनी कंडिसन लामू नही होती तथा कानूनन 1955 से पूर्व की खातेदारी भूमि में राजस्थान उपनवेषन अधिनियम नियम की शर्तो के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है।

वकिल प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र औ 7 आर 11 सीपीसी प्रार्थीया द्वारा वांछित पूर्व दिषा में अप्रार्थी की भूमि प0न0 197 / 216 के किला न0 3से5 में स्वीकृत है। रास्ता पूर्व में 1954 से पहले ही रिकार्ड में स्वीकृत व चालू था वा हमेषा निरन्तर चालू रहा है इस रास्ता वांछित के पीछे के मुरब्बा न0 में पीछे रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत है वा चालू है जो इस बात का सबूत व संकेत है कि उक्त रास्ता वजूद में है वा स्वीकृत व चालू था । चालू रास्ता को प0न0 198 / 216 किला न0 1से2 स्वीकार कराने की इस्तदुआ कर रहे है तथा जो रास्ता पष्चिम मुरब्बा में स्वीकृत है उसे खुलवाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा है। रास्ता हाजा के अलावा प्रार्थीया के पास अपने खेत में आवागमन का रास्ता नही है कुछ समय पूर्व रास्ता स्वीकृत न हो सके इस विचार से उन्होने एक कमरा बनाने का प्रयास किया थाजो अदालत के आदेषो से प्रार्थीया ने रूकवाया । अतः प्रार्थना पत्र औ 7 आर 11 सीपीसी को खारिज किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र औ 7 आर 11 सीपीसी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पूर्वजो की मौरूसी भूमि है जिस पर राजस्थान उपनिवेषन अधिनियम 1955 की जरनल कॉलोनी कंडिसन लामू नही होती तथा कानूनन 1955 से पूर्व की खातेदारी भूमि में राजस्थान उपनवेषन अधिनियम नियम की शर्तो के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत नही करने का

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

Scanned by CamScanner

दन किया गया । जबाब प्रार्थना पत्र में औ 7 आर 11 सीपीसी प्रार्थीया द्वारा वांछित पूर्व दिषा में
ार्थी की भूमि प0न0 197/216 के किला न0 3से5 में स्वीकृत है। रास्ता पूर्व में 1954 से पहले ही
कार्ड में स्वीकृत व चालू था वा हमेषा निरन्तर चालू रहा है इस रास्ता वांछित के पीछे के मुरब्बा न0 में
छे रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत है वा चालू है जो इस बात का सबूत व संकेत है कि उक्त रास्ता वजूद में है
स्वीकृत व चालू था । चालू रास्ता को प0न0 198/216 किला न0 1से2 स्वीकार कराने की इस्तदुआ
र रहे है तथा जो रास्ता पष्चिम मुरब्बा में स्वीकृत है उसे खुलवाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा है।
स्ता हाजा के अलावा प्रार्थीया के पास अपने खेत में आवागमन का रास्ता नही है कुछ समय पूर्व रास्ता
ीकृत न हो सके इस विचार से उन्होने एक कमरा बनाने का प्रयास किया थाजो अदालत के आदेषो से
र्थीया ने रूकवाया। प्रार्थना पत्र कतई विधि से बाधित नही है। डीएनजे 2008(3) राज. पेज न.1343 व
रआर डी 2008 पेज 736 पैष कि जो न्याय दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः औ 7 आर
सीपीसी के बिन्दू इस प्रार्थना पत्र में लामू नही होते है । प्रार्थना पत्र आदेष 7 नियम 11 सीपीसी को
ारिज किया जाता है आदेश शामिल मिसल किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner